1187

[2019] 17 एस. सी. आर 1187

ए.

राजा

बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य (2018 आदि की आपराधिक अपील No.740) 10 दिसंबर, 2019

बी.

[उदय उमेश ललित और इंदु मल्होत्रा**,** जे**.** जे**.]**

दंड संहिता, 1860:

एसएस।394, 396, 449, 395/397 – अभियोजन-सात अभियुक्तों में से-पाँच घायल नेत्र-गवाह-सभी चश्मदीद गवाहों द्वारा परीक्षण पहचान परेड में अभियुक्त Nos.1 से 6 की पहचान की गई-छह अभियुक्तों की निचली विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और अभियुक्त संख्या 7 बरी-उच्च न्यायालय ने निचली विचारण न्यायालय के आदेश की पुष्टि की-दोषी अभियुक्त द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील-आयोजित:मामले की परिस्थितियों में, अभियुक्त संख्या 1 से 6 की उपस्थिति और भागीदारी चश्मदीद गवाहों के विवरण के माध्यम से साबित हुई-चश्मदीद गवाहों द्वारा पहचान के साक्ष्य में कोई कमजोरी नहीं है-दोषसिद्धि की पुष्टि की गई।

सी.

डी.

टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी):

टी. आई. पी. का साक्ष्य मूल्य, जो जांच का हिस्सा है, न्यायालय के समक्ष गवाह द्वारा दिए गए अंतिम बयानों की पुष्टि करने के लिए एक मंच प्रदान करता है-इस तरह के टी. आई. पी. के महत्व पर प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विचार किया जाना चाहिए-ऐसे मामलों में जहां रिकॉर्ड पर सामग्री पर्याप्त रूप से "गवाहों के दिमाग और स्मृति पर पहचान की स्थायी छाप प्राप्त करने" के कारण को इंगित करती है, ऐसे मामलों में टी. आई. पी. का न होना अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं होगा।

ई.

एफ.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.1** अभियुक्त की पहचान के लिए जो ठोस साक्ष्य है**,** वह मुकदमे के दौरान दिया गया साक्ष्य है।हालांकि**,** जब तक गवाह आम तौर पर गवाही देने के लिए चौकड़ी में कदम रखते हैं**,** तब तक घटना की तारीख और गवाहों की वास्तविक परीक्षा के बीच काफी समय का अंतर होता है।यदि अभियुक्त या संदिग्ध गवाहों को पहले से जानते थे और उनकी पहचान पर कभी संदेह नहीं था**,** तो समय बीतने से उनकी पहचान के बारे में साक्ष्य पर गुणात्मक रूप से प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

जी.

एच.

1187 ए.

1188 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 17 एस. सी. आर.

ऐसे अभियुक्त**,** लेकिन कठिनाई उत्पन्न हो सकती है यदि अभियुक्त अज्ञात थे।ऐसे मामलों में**,** गवाहों द्वारा पहचान की शुद्धता के बारे में सवाल उठ सकता है।गवाहों ने घटना के दौरान आरोपी को मंच पर देखा था और गवाहों की वास्तविक जांच के बीच का समय ऐसा हो सकता है कि बॉक्स में पहली बार गवाहों द्वारा पहचान न्यायालय के लिए पूरी तरह से भरोसा करना मुश्किल हो सकता है।यह आश्वासन देने के लिए कि गवाहों ने वास्तव में पहले उपलब्ध अवसर पर आरोपी या संदिग्धों की पहचान की थी**,** टी**.** आई**.** पी**.** जो जांच का हिस्सा है**,** न्यायालय के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए अंतिम बयानों की पुष्टि करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हालाँकि**,** इस तरह के टी**.** आई**.** पी**.** को क्या महत्व दिया जाना चाहिए**,** यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विचार करने का विषय है।अभियुक्त की गिरफ्तारी से टी**.** आई**.** पी**.** की अवधि के बारे में कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं है।**[**पैरा **15] [1198-**जी**-**एच**;** **11998-**ए**-**सी**]**

बी.

सी.

डी.

1.2 यदि अभिलेख पर सामग्री पर्याप्त रूप से इंगित करती है कि "गवाहों के मन और स्मृति पर पहचान का एक स्थायी प्रभाव प्राप्त करने" के कारण अभिलेख पर उपलब्ध हैं**,** तो मामला पूरी तरह से अलग परिप्रेक्ष्य में खड़ा है।ऐसे मामलों में पहचान परेड का आयोजन न करना भी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा।वर्तमान मामले में**,** इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक प्रत्यक्षदर्शी को लेन**-**देन में कई चोटें आई थीं**,** यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें से प्रत्येक को हमलावरों की पहचान का स्थायी प्रभाव रखने के लिए आरोपी का निरीक्षण करने का पर्याप्त अवसर मिला था।ऐसा नहीं है कि गवाहों ने

हमलावरों को भीड़ में और कुछ दूरी से देखा था।चोटों को देखते हुए, आरोपी के साथ संपर्क बहुत दूर से हुआ होगा।[पैरा **18] [1205-**जी-एच**; 1206-**ए**]**

ई.

एफ.

1.3 इसके अलावा, वर्तमान मामले में आरोपी संख्या **6** को छोड़कर सभी अभियुक्तों को **21.06.1999** पर गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने **22.06.1999** पर मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के बाद, आरोपी संख्या **6** की पुलिस हिरासत **01.07.1999** पर प्राप्त की गई और टी**.** आई**.** पी**. 01.07.1999** पर ही आयोजित की गई।इस प्रकार, **01.07.1999** पर टी**.** आई**.** पी**.** प्राप्त करने में जांच तंत्र की ओर से कोई देरी नहीं हुई। **[**पैरा **19] [1206-**बी**]** ए

जी.

एच.

1189

राजा बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य ए

1.4 पीडब्लू **1,2** और **3** के संबंध में, हालांकि यह कहने के लिए कुछ गुंजाइश है कि अभियुक्तों को गवाहों को दिखाया गया था जब वे हिरासत में थे, वह हिस्सा अपने आप में पर्याप्त नहीं हो सकता है।पीडब्लू **4** और **5** की गवाही एक अलग आधार पर खड़ी है।**[**पैरा **21] [1206-**जी-एच**; 1207-**ए**]**

बी.

1.5 अभिलेख पर तथ्य इस प्रकार स्पष्टता के साथ इंगित करते हैं कि:**(**क**)** परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में कोई देरी नहीं हुई और देरी, यदि कोई हो, इस तथ्य के कारण थी कि अभियुक्तों में से एक न्यायिक हिरासत में था, जिसकी उपस्थिति अदालत से उचित अनुमति के बाद ही सुनिश्चित की जानी थी**; (**ख**)** यह अभियुक्त का मामला नहीं है कि अभियुक्त संख्या **6** को कभी भी किसी भी गवाह को दिखाया गया था।अभियुक्त सं**. 6** की परीक्षण पहचान परेड में किसी भी आधार पर कोई कमजोरी नहीं है और सभी गवाहों की लगातार पहचान की गई है, अभियुक्त सं**. 6** ने कहा**; (**ग**)** पांच घायल गवाहों में से दो ने पूरी तरह से इनकार किया था कि या तो अभियुक्त या उनकी तस्वीरें गवाहों को दिखाई गई थीं, जबकि अन्य तीन ने उस ओर से सुझाव स्वीकार किया था**;** और **(**घ**)** लेनदेन में सभी गवाह घायल हो गए थे, जिसमें कई चोटें आई थीं।इसलिए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि उनमें से प्रत्येक को प्रत्येक

अभियुक्त की विशेषताओं का निरीक्षण करने का पर्याप्त और उचित अवसर मिला था।**[**पैरा **22] [1213-**सी**-**एफ**]**

सी.

डी.

ई.

मनु शर्मा बनाम राज्य **(**दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र**) (2010) 6** एस**.** सी**.** सी**. 1**

:[2010] 4 एस**.** सी**.** आर**. 103-**पर निर्भर।

प्रमोद मंडल बनाम बिहार राज्य **(2004) 13** एससीसी

150 :[2004] 4 पूरक।एस. सी. आर. 479; वकील सिंह बनाम बिहार राज्य (1981) पूरक।एस. सी. सी. 28; सुभाष बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1987) 3 एस. सी. सी. 211; सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1982) 3 एस. सी. सी. 368; दया सिंह बनाम हरियाणा राज्य (2001) 3 एस. सी. सी. 468:[2001] 1 एस. सी. आर. 1115-संदर्भित।

एफ.

2. अभिलेख पर परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए**,** अभियुक्त **Nos.1** से **6** तक की उपस्थिति और भागीदारी**,** प्रत्यक्षदर्शी खाते के माध्यम से साबित हुई।पीडब्लू **1** से **5** तक द्वारा पहचान के साक्ष्य में कोई कमजोरी नहीं है।नतीजतन**,** अपीलार्थियों को उन अपराधों के लिए सही पाया गया जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था।उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की जाती है।**[**पैरा **23,24,25] [1213-**जी**; 1214-**बी**]**

जी.

एच.

1190 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 17 एस. सी. आर.

संदर्भित निर्णय

[2004] 4 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 479** पैरा **16 (1981)** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।एस**.** सी**.** सी**. 28** पैरा **16 (1987) 3** एस**.** सी**.** सी**. 331** को संदर्भित करता है।

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

बी.

(1982) 3 एस**.** सी**.** सी**. 368**

संदर्भित किया गया है

पैरा **16**

[2001] 1 एससीआर **1115**

संदर्भित किया गया है

पैरा **17**

[2010] 4 एससीआर **103**

संदर्भित किया गया

पैरा **21**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2018 की आपराधिक अपील No.740

सी.

2012 के डी. बी. आपराधिक अपील सं. 604 में मद्रास में उच्च न्यायालय के न्यायिक निर्णय और आदेश से

के साथ

2018 की आपराधिक अपील संख्या 1608-1609।

डी.

गोपाल शंकरनारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता, राहुल श्याम भंडारी, कोणार्क त्यागी, सुश्री भव्य विजय तंगरी, के. परी वेंधन, प्रभु रामसुब्रमण्यम, विष्णु उन्नीकृष्णन, विलियम विनोथ के. आर., विशाल सिन्हा, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

ई.

एम. योगेश कन्ना, एस. राजा राजेश्वरन, मिशा अग्रवाल, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

उदय उमेश ललित**,** जे।

1. 2018 की आपराधिक अपील सं. 740 (मूल अभियुक्त सं. 1,3,5 और 6 द्वारा पसंद की गई) और 2018 की आपराधिक अपील सं. 1608-1609 (मूल अभियुक्त सं. 2,3,5 और 6 द्वारा पसंद की गई) मद्रास में उच्च न्यायालय द्वारा पारित सामान्य निर्णय और आदेश को

चुनौती देती है, जिसमें 2012 की आपराधिक अपील सं. 604 और 2013 की 92 को खारिज कर दिया गया है।

एफ.

जी.

2. अभियोजन पक्ष का मामला जैसा कि अपील के तहत निर्णय के पैराग्राफ 2.1 से 2.3 में निर्धारित किया गया है, निम्नानुसार हैः-

"... ...श्री सेनगोडा गौंडर पी. डब्ल्यू. के पिता थे। 1 और 3 और पी. डब्ल्यू. 2 के पति।पी. डब्ल्यू. 4 पी. डब्ल्यू. 3 की पत्नी और मृतक की बहू है।पी. डब्ल्यू. 5 ए के पोते हैं।

एच.

1191

राजा बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

मृतक और पी. डब्ल्यू. 2.पीडब्लूएस। 3 और 4 का एक बच्चा भी था और वे सभी नल्लावुमपट्टी गाँव में एक ही छत के नीचे एक साथ रह रहे थे।2.2 27.05.1999 पर पी. डब्ल्यू. एस. 1 से 5, खाना खाने के बाद, सो गए थे।पी. डब्ल्यू. 1 और अन्य का घर पश्चिम की ओर है।पी. डब्ल्यू. 1 घर के उत्तरी हिस्से में स्थित कमरे में सो रहा था।पीडब्लूएस। 3 और 4 बच्चे के साथ घर के दक्षिणी हिस्से में स्थित कमरे में सो रहे थे।पी. डब्ल्यू. 5 उक्त घर के सामने बरामदे में स्थित शीशी पर सो रहे थे।उक्त घर के ठीक सामने, पश्चिम की ओर, उनसे संबंधित ट्रैक्टर शेड स्थित है।मृतक सेनगोडा गौंडर और उसकी पत्नी (पी. डब्ल्यू. 2) उक्त ट्रैक्टर शेड में सो रहे थे।

बी.

सी.

2.3 लगभग 09.30 अपराह्न, वे सोने के लिए संबंधित स्थान पर गए।जब वे सो रहे थे, 28.05.1999 पर लगभग 01.00 सुबह, ये अपीलार्थियों (आरोपी 1 से 6) डकैती करने के लिए मृतक के घर आए।वे पहले ट्रैक्टर शेड में गए और मृतक पर घातक हथियारों से हमला करना शुरू कर दिया।मृतक मदद के लिए चिल्लाया जिससे पी. डब्ल्यू. 2 जागी।इन अभियुक्तों ने पी. डब्ल्यू. 2 पर भी अंधाधुंध हमला किया।उसने शोर मचाया और मदद के लिए चिल्लाई।घर के पश्चिमी हिस्से में स्थित कमरे में सो रहे मृतक और पी. डब्ल्यू. 2, पी. डब्ल्यू. 1 का चिल्लाना सुनकर उन्होंने अंदर से मुख्य दरवाजा खोला और बाहर आ गए।उसे देखकर कुछ अभियुक्तों ने उस पर चाकू और लकड़ी के लट्ठ जैसे घातक हथियारों से हमला कर दिया।चूँकि हमला इतना हिंसक था, वह इसे सहन करने में असमर्थ था और आगे होने वाले प्रहारों से बचने के लिए, पी.

डब्ल्यू. 1 ने मदद के लिए रोते हुए घर के अंदर भागने की कोशिश की।अलार्म बजने तक पी. डब्ल्यू. 3 घर से बाहर आ गए।कुछ अभियुक्तों ने उस पर हथियारों से हमला किया।उसे खून बहने की चोटें आईं।आगे के हमले से खुद को बचाने के लिए, वह घर में घुस गया और उस कमरे में चला गया जहाँ उसकी पत्नी सो रही थी।हमलावर नहीं रुके।उन्होंने पीछा किया, उक्त कमरे में प्रवेश किया और पी. डब्ल्यू. 3 और उनकी पत्नी (पी. डब्ल्यू. 4) पर हथियारों से अंधाधुंध हमला किया।दोनों को कई खून बहने की चोटें आईं।पी. डब्ल्यू. 5 जो पियाल में सो रहा था, रोते-बिलखते जाग गया और बाहर भाग गया।उन पर हमला भी किया गया।शोर मचाते हुए वह एक थालुका गौंडर के घर की ओर भागा।ये हमलावर घर में घुस गए और संपत्तियों को लूट लिया।गवाहों द्वारा पहने गए गहनों की संख्या छीन ली गई

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

अभियुक्त द्वारा।उन्होंने घर में स्टील ब्यूरो तोड़ दिया और गहनों की चोरी कर ली।यह सब कुछ थोड़े समय में ही हो गया।इससे पहले कि ग्रामीण घटना स्थल पर इकट्ठा हो पाते, आरोपी कीमती गहने और अन्य सामान लूटकर घटनास्थल से भाग गए।पीडब्लूएस। 1 से 5 और मृतक खून बहने की चोटों के कारण जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे।ग्रामीणों ने तुरंत उन सभी को उथंगराई के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया।"

बी.

3. सभी पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया, जहां सेनगोडा गौंडर को मृत घोषित कर दिया गया।मृतक व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं।

सी.

"1. घर्षण 4 से. मी. x 4 से. मी. बाएं कंधे।2. कंफ्यूजन 10 सेमी x 10 सेमी बाईं कलाई।
3. दाहिने कलाई में 10 से. मी. x 10 से. मी. की चोट।

4. घाव 1 सेमी x हड्डी गहरा क्षैतिज मध्य सिर।

डी.

5. घाव 10 सेमी x 1 सेमी हड्डी गहरी तिरछी बाईं ओर सिर।”

4. अन्य घायल व्यक्तियों की भी उसी दिन सुबह 6 बजे से पहले जांच की गई।

ई.

ए) पीडब्लू1-सुंदरराजन को निम्नलिखित चोटें आई थीं:- “1. बाएँ कंधे पर 4 x 4 सेमी का घर्षण।बाईं कोहनी पर 10 x 10 सेमी का घाव।3. दाहिनी कोहनी पर 10 x 10 सेमी का घाव।4. सिर के केंद्र में हड्डी तक 10 x 1 सेमी का घाव।

एफ.

5. सिर के बाईं ओर गहरी हड्डी में 10 x 1 सेमी का घाव।”

जी.

बी) पीडब्लू2-इरुसाई को निम्नलिखित चोटें पाई गईं:- “1. दाहिने अंगूठे के हाथ में 2 सेमी x 1 सेमी x 1 सेमी घाव।

2. माथे के बाईं ओर 6 से. मी. x 1 से. मी. x हड्डी का घाव।

एच.

1193

राजा बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

ए.

3. चोट 10 से. मी. x 6 से. मी. बाईं कलाई।

4. दाहिने कंधे के नीचे 10 से. मी. x 10 से. मी. पीछे संपीड़न।”ग) पीडब्लू3-कुमार को निम्नलिखित चोटें लगी थीं:- “1. एक घाव 10 से. मी. x 6 से. मी. x हड्डी गहरी बाईं ऊपरी भुजा तिरछी।

बी.

2. 8 से. मी. x 4 से. मी. x 4 से. मी. घाव वाली बाईं ऊपरी भुजा 4 से. मी. से नीचे क्षैतिज रूप से घाव करती है।

3. 6 से. मी. x 2 से. मी. x हड्डी के गहरे निचले हिस्से में एक घाव ऊपरी भुजा क्षैतिज।

सी.

4. बाएं कान के लोब से क्षैतिज रूप से पीछे की ओर फैला हुआ एक घाव 10 सेमी x 1 सेमी x हड्डी।5. दाहिने ऊपरी होंठ के ऊपर घाव जो बाईं ओर की नाक तक 8 सेमी x 1 सेमी x हड्डी तक फैला हुआ है।

6. घाव 4 सेमी x 1 सेमी x 1 सेमी बाईं भौंह।7. घाव 16 से. मी. x 2 से. मी. x हड्डी दाहिने कंधे के ऊपर ऊपरी पहलू तिरछा।"

डी.

डी) पीडब्लू4-थंगम्मल को निम्नलिखित चोट लगी थीः-

"10 से. मी. x 1 से. मी. x हड्डी का एक घाव जो अग्रभाग से मध्य सिर तक फैला हुआ है।"

ई.

ई) पीडब्लू5-सेनगोदन के व्यक्ति पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं।

"1. संदूषण 10 सेमी x 10 सेमी बाएं घुटने।2. घर्षण 6 से. मी. x 1⁄4 से. मी. दाहिनी जांघ मध्य सामने।"

एफ.

5. 28.05.2009 पर सुबह लगभग 6 बजे, PW1-सुंदरराजन द्वारा शिकायत (प्रदर्शनी-P1) की गई थी, जिसके अनुसार No.238/1999 को सिंगरापेट्टई पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जो इस प्रकार हैः-

"27-05-1999 रात को लगभग 9:30 बजे हम सभी खाना खाने के बाद सो गए।मेरे पिता और माता घर के सामने ट्रैक्टर शेड में सो रहे थे।मेरे भाई का बेटा सेनगोदन घर के बरामदे में सो रहा था।मेरे छोटे भाई कुमार और उनकी पत्नी थंगम अपने बच्चे मंजू के साथ घर के दक्षिणी कमरे में सो रहे थे।मैं घर के उत्तरी तरफ के कमरे में सो रहा था।आधी रात को लगभग 1 बजे मैं

जी.

एच.

पिता की आवाज़ सुनकर वह उठे और कमरे से बाहर आ गए।उस समय लाल रंग की कमीज पहने एक व्यक्ति हाथ में छड़ी लेकर आया और उसे बैठा पाया।6 लोगों का एक समूह मेरे पिता पर लाठी और कोडुवल से हमला कर रहा था और उन्हें पीट रहा था।उनमें से एक ने लगभग 5

सोने की चेन काट दी और मैं रोया और शोर मचाया।उन लोगों ने मेरे सिर पर और पूरे शरीर पर लाठी और कोडुवल से हमला किया।मेरा शोर सुनकर मेरे छोटे भाई कुमार कमरे से बाहर भागे और उनके हाथों को पीछे से बांध दिया और उन्हें डंडों से पीटा गया।उनकी पत्नी थंगम पिटाई को रोकने के लिए बाहर आई लेकिन उस पर भी कोडुवल ने हमला कर दिया।उन्होंने उसके द्वारा पहनी गई 10 सोने की चेन को हटा दिया, उसके द्वारा पहनी गई चांदी की पैर की चेन की एक जोड़ी भी उनके द्वारा छीन ली गई।फिर वे घर में घुस गए और कार्यालय को तोड़ दिया और बच्चे द्वारा पहनी गई चांदी की कमर की तार और चांदी की पैर की चेन को हटा दिया।उस समय मेरे भाई के बेटे सेनगोदन ने शोर मचाया और उस पर भी हमला किया गया।सब लोग वहाँ से भाग गए।वे 20 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के 7 सदस्य थे।हमारा शोर सुनकर रामसुंदरम और श्रीनिवासन आदि ग्रामवासी आए और हमें सुबह लगभग 4 बजे सरकारी अस्पताल, उथंगराई ले गए।मुझे पता चला कि मेरे पिता सेनगोदन की मृत्यु हो गई है।अन्य को डॉक्टर द्वारा इलाज किए गए अस्पताल में भर्ती कराया गया।चोरी की गई वस्तुओं का मूल्य Rs.45000-(पैंतालीस हजार) होगा।अगर बरामद हो जाए तो मैं चोरी किए गए गहनों की पहचान कर सकता हूं।मैं उन लोगों की भी पहचान कर सकता हूं जो आए और गहने चुरा लिए और मेरे पिता की हत्या कर दी और अगर वे पाए गए तो हम पर हमला कर दिया।"

बी.

सी.

डी.

ई.

6. पुलिस उपाधीक्षक PW17-M.Chinnathambi द्वारा जाँच शुरू की गई थी।अभियुक्त No.1-Raja, अभियुक्त संख्या 2-गोविंदराज, अभियुक्त No.3-Palani, अभियुक्त No.4-Vandikaran @मुरुगन, अभियुक्त No.5-Elumalai और अभियुक्त संख्या 7-अरुमुगम को 21.06.1999 पर गिरफ्तार किया गया, जबकि अभियुक्त No.6-Chinnapaiyan ने 22.06.1999 पर मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, जिसने उसी दिन उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।जहाँ तक सभी गिरफ्तार अभियुक्तों का संबंध है, जाँच अधिकारी द्वारा जाँच पहचान परेड (संक्षेप में टी. आई. पी.) आयोजित करने के लिए 27.06.1999 अनुरोध पर किया गया था।28.6.1999 पर जाँच अधिकारी द्वारा अभियुक्त संख्या 6-चिन्नापैयन को पुलिस हिरासत में लेने की अनुमति के लिए एक आवेदन किया गया था।संबंधित मजिस्ट्रेट द्वारा 29.06.1999 पर 01.07.1999 पर टी. आई. पी. रखने की अनुमति दी गई थी।ए की पुलिस हिरासत

एफ.

जी.

एच.

अभियुक्त संख्या 6 को भी 01.07.1999 से 3 दिनों के लिए दिया गया था।इसके बाद, टी. आई. पी. 01.07.1999 पर आयोजित की गई, जिसमें पीडब्लू 1 से 5 ने संबंधित आरोपी की पहचान की।टी. आई. पी. का संचालन पी. डब्ल्यू. 11-बूपालन की उपस्थिति में और उनकी देखरेख में किया गया था, जो उस समय उप-न्यायाधीश रानी पेट्टई के रूप में काम कर रहे थे।

बी.

7. जाँच के दौरान, संबंधित अभियुक्तों से निम्नलिखित बरामदगी की गई।

i) आरोपी नंबर 1 से एम. ओ. 18 कलाई घड़ी बरामद की गई) एम. ओ. 12 सोने की चेन, एम. ओ. 21,23 और 24 सोने के सामान, एम. ओ. 46 और 47 खून के दाग वाले कपड़े आरोपी नंबर 2 से बरामद किए गए।

सी.

iii) एमओ 48 और 49 अर्थात् लाल कमीज सहित कपड़े अभियुक्त संख्या 3 से बरामद किए गए।

iv) 13,14,15 और 19 एम. ओ. अभियुक्त संख्या 4 से सोने की वस्तुएं बरामद की गईं।

डी.

v) आरोपी संख्या 5 से 6 और 16 सोने की वस्तुएं बरामद की गईं।

vi) एमओ 17 एक कलाई घड़ी और एमओ 43 और 56 सोने की वस्तुएं आरोपी नंबर 6 से बरामद की गईं।

ई.

8. जाँच पूरा होने के बाद, उपरोक्त सात अभियुक्त व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में आई. पी. सी.) की धारा 109,120 बी, 394,395,396,449 के तहत दंडनीय अपराधों सहित विभिन्न अपराधों को करने का आरोप लगाया गया था।अभियोजन पक्ष ने अपने मामले के समर्थन में मुख्य रूप से पीडब्लू 1 से 5 की गवाही पर भरोसा किया, जिन्होंने हमलावरों के रूप में आरोपी संख्या 1 से 6 की पहचान की।हालाँकि, सभी गवाहों ने कहा कि अभियुक्त संख्या 7 सभा के सदस्य के रूप में उपस्थित नहीं था।उनकी प्रतिपरीक्षा में, सभी गवाहों को यह सुझाव दिया गया था कि अभियुक्तों को हिरासत में रहते हुए गवाहों को दिखाया

गया था और टी. आई. पी. शुरू होने से पहले उनकी तस्वीरें भी समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थीं।इन गवाहों की प्रतिक्रियाएँ इस प्रकार थीं:-

एफ.

जी.

क) पीडब्लू1-सुंदरराजन ने कहा:-

"पुलिस ने गहने और अभियुक्तों को दिखाया और हमें उनकी पहचान करने के लिए कहा कि क्या वे वे लोग हैं जो पकड़े गए हैं।हमने पुलिस स्टेशन में नहीं देखा।हमने अखबारों में देखा। आई.

एच.

पता नहीं यह घटना के 25 दिन बाद अखबार में प्रकाशित हुआ था या नहीं।यह कहना सही नहीं है कि मैंने केंद्रीय जेल में उनकी पहचान की क्योंकि मैंने उन्हें पहले से ही समाचार पत्रों में देखा था।यह कहना सही नहीं है कि मैंने जेल में उनकी पहचान की क्योंकि मैंने उन्हें पुलिस स्टेशन और अखबारों में पहले ही देख लिया था।"

ख) पीडब्लू2-एरसायी ने कहा:-

बी.

"घटना के समय कुल 6 लोग आए थे।तभी मैंने उन्हें पहली बार देखा।मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा है।पुलिस ने कहा कि वे पकड़े गए जिन्हें मैंने पुलिस स्टेशन में देखा और फिर उन्हें केंद्रीय जेल, सलेम में देखा।"

सी.

ग) पीडब्लू3-कुमार ने कहा:-

"पुलिस द्वारा की गई जाँच में मैंने कहा है कि 6 अज्ञात व्यक्ति आए और उन पर हमला किया। मैंने यह नहीं कहा कि पहचान योग्य व्यक्तियों ने हम पर हमला किया।मैंने कहा है कि अगर देखा जाए तो मैं उनकी पहचान कर सकता हूं।मैंने पुलिस स्टेशन में पहचान की।... ...मैंने घटना के एक महीने बाद सिंगरापेट्टई पुलिस स्टेशन में पहचान की।"घ) पीडब्लू4-थंगम्मल ने कहा:-

डी.

“यह कहना सही नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि 4 सोने की चेन चोरी हो गई थी।सिंगरापेट्टई पुलिस भी आई और लिखा।इसके बाद पुलिस ने सलेम जेल में पूछताछ की।मैंने सलेम में पहचान की।हमने मोरप्पुर पुलिस स्टेशन में पहचान की।”

ई.

ई) पीडब्लू5-सेनगोदन ने कहाः-

“जब पुलिस ने मुझसे पूछताछ की तो मैंने आरोपी की पहचान नहीं बताई।यह कहना सही नहीं है कि मैं अपने परिवार और अरुमुगम के परिवार के बीच दुश्मनी के कारण झूठ बोल रहा हूं या मैंने जेल में अरुमुगम की पहचान की है।यह कहना सही नहीं है कि क्योंकि पुलिस ने मुझे अखबार में प्रकाशित अभियुक्तों की तस्वीरें दिखाईं और मुझे पहले ही मोरप्पुर पुलिस स्टेशन में अभियुक्त दिखाया गया था, इसलिए मुझे पहचान के लिए बुलाया गया और इसलिए मैंने अभियुक्त की पहचान की।दैनिक समाचार पत्र "धीना थांथी" उस समय हमारे गाँव नहीं आ रहा था।”

एफ.

जी.

9. पी. डब्ल्यू. 11-बूपालन, उप-न्यायाधीश, जिनकी उपस्थिति में टी. आई. पी. आयोजित की गई थी, ने कहा कि आरोपी Nos.1 से 6 को केंद्रीय जेल के 19 अन्य कैदियों के साथ पहचान के लिए खड़ा किया गया था, जिन्हें डमी के रूप में इस्तेमाल किया गया था और PWs.1 से 5 की पहचान अभियुक्त Nos.1 से 6 तक की गई थी।पीडब्लू8-थंगाराज, ग्राम प्रशासनिक अधिकारी, जिनका ए

एच.

राजा बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

उपस्थिति, कहा जाता है कि वसूली प्रभावित हुई, प्रतिकूल हो गई।अभियोजन पक्ष ने दूसरे पंच कासिम से पूछताछ नहीं की।पी. डब्ल्यू. 17, जांच अधिकारी ने अभियुक्त 1 से 5 और 7 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कहाः-

“यह कहना सही नहीं है कि 1 से 5 और 7 अभियुक्तों को सिंगरापेट्टई पुलिस थाने लाया गया जहां उन्हें गवाहों को दिखाया गया और उनकी पहचान की गई।मुझे नहीं पता कि आरोपी 1 से 5 और 7 की तस्वीरें 21-06-1999 से पहले ही अखबार में प्रकाशित हो चुकी थीं या नहीं।”

बी.

10. अभियोजन पक्ष के मामले को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कृष्णागिरी द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिन्होंने दिनांक 1 के फैसले द्वारा आरोपी को आई. पी. सी. की धारा 394,396,449 के तहत दंडनीय अपराधों का दोषी पाया। अभियुक्त संख्या 1 से 3 को भी आई. पी. सी. की धारा 397 सहपठित धारा 395 के तहत दोषी ठहराया गया था, जबकि अभियुक्त संख्या 2,4,5 और 6 को आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दोषी ठहराया गया था और सभी को जुर्माने और चूक की सजा सहित अन्य सजाओं के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।हालाँकि, अभियुक्त संख्या 7 को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

सी.

डी.

11. इसके बाद, 2012 की आपराधिक अपील (आईडी1) को अभियुक्त संख्या 1 से 5 द्वारा प्राथमिकता दी गई, जबकि 2013 की आपराधिक अपील (आईडी2) को अभियुक्त संख्या 6 द्वारा प्राथमिकता दी गई।अपने सामान्य निर्णय और दिनांक 1 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा लिए गए विचार की पुष्टि की और दोनों अपीलों को खारिज कर दिया। पीड़ित होने के कारण, अभियुक्त Nos.1,2,3,5 और 6 ने इन आपराधिक अपीलों को प्राथमिकता दी है।हमने अभियुक्त नंबर 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल श्याम भंडारी और अन्य अभियुक्तों के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गोपाल शंकरनारायणन और राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री एम. योगेश कन्ना को सुना है।12. अपीलार्थियों की ओर से दिए गए प्रमुख निवेदन इस प्रकार हैंः

ई.

एफ.

(क) प्रारंभिक सूचना से पता चलता है कि हमलावरों की पहचान किसी भी गवाह को नहीं पता थी।पीडब्लू द्वारा दिए गए प्रवेश। उनकी प्रतिपरीक्षा में 1,2,3 और 4 से पता चलता है कि अभियुक्तों को पुलिस स्टेशन में गवाहों को दिखाया गया था।यह स्वीकार किया जाता है कि अभियुक्तों की तस्वीरें स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थीं।

जी.

एच.

(ख) अभियोजन पक्ष के प्रारंभिक संस्करण के अनुसार, आरोपी संख्या 7, आसपास रहने वाला एक पड़ोसी अपराध के लिए जिम्मेदार था और अपीलार्थियों को उसके साथी कहा गया था।हालांकि, प्रत्येक चश्मदीद ने कहा कि आरोपी संख्या 7 अपराध में शामिल नहीं था। अभियोजन पक्ष ने उक्त अभियुक्त संख्या 7 को बरी करने के निर्णय को स्वीकार कर लिया।इस प्रकार अपीलार्थियों का अपराध से कोई संबंध नहीं था।

बी.

(ग) पी. डब्ल्यू. 8-थंगाराज द्वारा वसूली का समर्थन नहीं किया गया था।दूसरे पंच की भी जांच नहीं की गई।

13. हालाँकि, राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री कन्ना ने प्रस्तुत विद्वान कि जैसा कि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा पाया गया है, PWs.1 से 5 के माध्यम से चश्मदीद गवाह का विवरण स्पष्ट, ठोस और पूरी तरह से विश्वसनीय था।उन अभियोजन पक्ष के गवाहों में से प्रत्येक को चोटें आई थीं; उनकी उपस्थिति पर कभी संदेह नहीं किया जा सकता था; और चोटों की प्रकृति को देखते हुए प्रत्येक अभियुक्त की विशेषताओं का निरीक्षण करने के लिए उनके लिए उपलब्ध अवसर काफी था।

सी.

डी.

14. वर्तमान मामले में, घटना आधी रात के बाद हुई।अभियोजन पक्ष के गवाह 1 से 5 को लेन-देन में चोटें आईं लेकिन प्रारंभिक रिपोर्टिंग से पता चला कि हमलावरों की पहचान गवाहों को नहीं पता थी।यह सच है कि कोई पहचान के निशान या विशेषता नहीं बताई गई थी, लेकिन यह दावा किया गया था कि हमलावर 20 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के थे और हमलावरों में से एक ने लाल रंग की शर्ट पहनी थी।इसके अलावा, यदि प्रत्येक गवाह को लगी चोटों की प्रकृति और संख्या पर विचार किया जाता है, तो हमलावर गवाहों के काफी करीब रहे होंगे ताकि गवाहों को उनकी विशेषताओं का निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर मिल सके।

ई.

एफ.

15. इस न्यायालय द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि किसी अभियुक्त की पहचान का जो ठोस साक्ष्य है, वह मुकदमे के दौरान दिया गया साक्ष्य है।हालांकि, जब तक गवाह आम तौर पर गवाही देने के लिए चौकड़ी में कदम रखते हैं, तब तक घटना की तारीख और गवाहों की वास्तविक परीक्षा के बीच काफी समय का अंतर होता है।यदि अभियुक्त या संदिग्ध गवाहों को पहले से जानते थे और उनकी पहचान पर कभी संदेह नहीं था, तो समय बीतने से ऐसे अभियुक्त की पहचान के बारे में साक्ष्य पर गुणात्मक रूप से प्रभाव नहीं पड़ सकता है, लेकिन यदि

अभियुक्त अज्ञात थे तो कठिनाई उत्पन्न हो सकती है।ऐसे मामलों में, गवाहों द्वारा पहचान की शुद्धता के बारे में सवाल उठ सकता है।मंच के बीच समय का अंतराल जब गवाह ए

जी.

एच.

1199

राजा बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

घटना के दौरान अभियुक्त को देखा था और गवाहों की वास्तविक परीक्षा ऐसी हो सकती है कि बॉक्स में पहली बार गवाहों द्वारा पहचान न्यायालय के लिए पूरी तरह से भरोसा करना मुश्किल हो सकता है।यह आश्वासन देने के लिए कि गवाहों ने वास्तव में पहले उपलब्ध अवसर पर आरोपी या संदिग्धों की पहचान की थी, टी. आई. पी. जो जांच का हिस्सा है, न्यायालय के समक्ष गवाहों द्वारा दिए गए अंतिम बयानों की पुष्टि करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। हालाँकि, इस तरह के टी. आई. पी. को क्या महत्व दिया जाना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में विचार करने का विषय है।16. पुनः, अभियुक्त की गिरफ्तारी से टी. आई. पी. की अवधि के बारे में कोई कठोर और तेज़ नियम नहीं है।कुछ मामलों में, इस न्यायालय ने 10 दिनों की देरी को घातक माना, जबकि अन्य मामलों में 40 दिनों या उससे अधिक की देरी को भी घातक नहीं माना गया।उदाहरण के लिए, प्रमोद मंडल बनाम बिहार राज्य 1 में आरोपी को 17.01.1989 पर गिरफ्तार किया गया था और 18.02.1989 पर परीक्षण पहचान के लिए रखा गया था, जिसका अर्थ है कि टी. आई. पी. आयोजित करने में एक महीने की देरी हुई थी। इसके अलावा, उक्त आरोपी के खिलाफ केवल एक पहचान करने वाला गवाह था।वकील में इस न्यायालय के फैसलों पर विचार करने के बाद

बी.

सी.

डी.

सिंह बनाम बिहार राज्य **2,** सुभाष बनाम उत्तर प्रदेश राज्य **3** और

सोनी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 4 जिसमें टी. आई. पी. आयोजित करने में देरी के कारण अभियुक्त को लाभ प्रदान किया गया था, इस न्यायालय ने निम्नलिखित विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले मामलों पर विचार किया:

ई.

“18. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि तत्काल मामले में परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में कोई अत्यधिक देरी नहीं हुई थी ताकि परीक्षण पहचान परेड की वास्तविकता

पर संदेह पैदा किया जा सके।किसी भी स्थिति में उन्होंने प्रस्तुत किया कि भले ही यह माना जाता है कि परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में कुछ देरी हुई थी, लेकिन यह आरोपी का कर्तव्य था कि वह जांच अधिकारी और मजिस्ट्रेट से पूछताछ करे कि क्या परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में देरी के कारण कोई लाभ उठाया गया था।भरत सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 5 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा रखा गया था। उपरोक्त फैसले में इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:(एस. सी. सी. पी. 898, पैरा 6)

एफ.

जी.

1 (2004) 13 एस. सी. सी. 150 2 (1981) पूरक।एससीसी 28 3 (1987) 3 एससीसी 231 4 (1982) 3 एससीसी 368 5 (1973) 3 एससीसी 896

एच.

“6. एस. के. में। हसीब बनाम बिहार राज्य 6 न्यायालय द्वारा यह मत व्यक्त किया गया कि पहचान परेड जांच चरण से संबंधित है और इसलिए उन्हें जल्द से जल्द आयोजित करना वांछनीय है।पहचान करने का एक प्रारंभिक अवसर लंबे समय के अंतराल के कारण पहचान करने वाले गवाहों की स्मृति के लुप्त होने की संभावना को कम करता है।इस निर्णय पर भरोसा करते हुए, अपीलार्थी के वकील का तर्क है कि परेड में जो हुआ उससे कोई समर्थन प्राप्त नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह अपीलार्थी की गिरफ्तारी के लंबे समय बाद आयोजित किया गया था।अब यह सच है कि तत्काल मामले में पहचान परेड आयोजित करने में लगभग तीन महीने की देरी हुई थी, लेकिन यहां फिर से जांच अधिकारी से कोई सवाल नहीं पूछा गया कि देरी क्यों और कैसे हुई।यह सच है कि अपराध को स्थापित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है, लेकिन उस सिद्धांत को इस हद तक नहीं उठाया जा सकता है कि अभियोजन पक्ष को सभी संभावित बचावों का खंडन करने के लिए सबूत का नेतृत्व करना चाहिए।यदि तर्क यह था कि पहचान परेड अनियमित तरीके से आयोजित की गई थी या इसे आयोजित करने में अनुचित देरी हुई थी, तो परेड आयोजित करने वाले मजिस्ट्रेट और जांच करने वाले पुलिस अधिकारी से उस ओर से जिरह की जानी चाहिए थी।” तत्काल मामले में हम पाते हैं कि बचाव पक्ष ने परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में देरी के लिए अभियोजन पक्ष पर कोई उद्देश्य नहीं लगाया है, न ही बचाव पक्ष ने आरोप लगाया है कि परीक्षण पहचान परेड के आयोजन में कोई अनियमितता थी।परीक्षण पहचान परेड का संचालन करने वाले मजिस्ट्रेटों के साथ-साथ जांच अधिकारी के साक्ष्य को चुनौती नहीं दी गई है।इसलिए, राज्य के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क

देना उचित है कि इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में घटना के लगभग एक महीने बाद परीक्षण पहचान परेड का आयोजन अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है क्योंकि यह सुझाव देने के लिए कुछ भी नहीं है कि अभियोजन पक्ष का परीक्षण पहचान परेड के आयोजन में देरी करने का कोई उद्देश्य था या परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में कोई अनियमितता की गई थी।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

19. राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अनिल कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 7 मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया है, जिसमें गिरफ्तारी के 47 दिन बाद परीक्षण पहचान परेड आयोजित की गई थी।

6 (1972) 4 एससीसी 773 7 (2003) 3 एससीसी 569 ए

एच.

1201

राजा बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

अपीलार्थियोंयह न्यायालय इस न्यायालय के कई निर्णयों पर विचार करने के बाद, जिसमें बृज मोहन बनाम राज्य के निर्णय शामिल हैं।

राजस्थान **8,** दया सिंह बनाम हरियाणा राज्य **9** और राज्य

महाराष्ट्र बनाम सुरेश 10 ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि पहचान करने वाले गवाह पर अपीलार्थी और एक अन्य सहित हमलावरों द्वारा हमला किया गया था, इसलिए उसने हमलावरों को स्पष्ट रूप से देखा था।जब उसका छोटा भाई उसे बचाने आया तो हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी, जबकि गवाह को भी गंभीर चोटें आईं।ये ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिन्होंने गवाह की स्मृति में हमलावरों के चेहरे के भावों को अंकित किया होगा और यह प्रभाव 47 दिनों की अवधि के भीतर कम या गायब नहीं होगा।पहचान करने वाले गवाह के पिता और माँ का भी ऐसा ही मामला था, जिन्होंने हमलावरों को उनके बेटों पर हमला करते और उनके एक बेटे को मारे जाते देखा

था।उनकी स्मृति में भी हमलावरों के चेहरे के भाव उभरे होंगे।केवल 47 दिनों के अंतराल से उनके चेहरे के भाव उनकी स्मृति से नहीं मिटेंगे।

बी.

सी.

डी.

20. न तो यह संभव है और न ही विवेकपूर्ण है कि किसी भी अपरिवर्तनीय नियम को निर्धारित किया जाए कि किस अवधि के भीतर एक परीक्षण पहचान परेड आयोजित की जानी चाहिए, या गवाहों की संख्या जो आरोपी की दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए सही ढंग से पहचान करनी चाहिए।प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में निर्णय लेने के लिए इन मामलों को तथ्य की अदालतों पर छोड़ दिया जाना चाहिए।यदि एक नियम निर्धारित किया जाता है जिसमें एक अवधि निर्धारित की जाती है जिसके भीतर परीक्षण पहचान परेड आयोजित की जानी चाहिए, तो यह केवल उन पेशेवर अपराधियों को लाभान्वित करेगा जिनके मामलों में गिरफ्तारी में देरी होती है क्योंकि पुलिस को उनकी पहचान के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं होती है, क्योंकि वे पीड़ितों के लिए अनजान व्यक्ति हैं।इसलिए, उन्हें केवल दोषसिद्धि से बचने के लिए निर्धारित अवधि के लिए अपनी गिरफ्तारी से बचना होगा।इसी तरह, ऐसे अपराध हो सकते हैं जो अपने स्वभाव से एक ही गवाह द्वारा देखे जा सकते हैं, जैसे कि बलात्कार।अपराधी पीड़ित के लिए अज्ञात हो सकता है और मामला पूरी तरह से पीड़ित की पहचान पर निर्भर करता है, जिसे अन्यथा सच्चा और विश्वसनीय पाया जाता है।यह तर्क देने के लिए क्या औचित्य का अनुरोध किया जा सकता है कि ऐसे मामलों में केवल एक ही पहचान करने वाला गवाह होने के कारण बरी होना आवश्यक है?इसलिए विवेक की मांग है कि इन मामलों को तथ्य की अदालतों के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए, जिन्हें मामले के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए।

ई.

एफ.

जी.

8 (1994) 1 एस. सी. सी. 413 9 (2001) 3 एस. सी. सी. 468 10 (2000) 1 एस. सी. सी. 471

एच.

ऐसी पहचान की स्वीकार्यता या अस्वीकृति पर उच्चारण करने से पहले अभिलेख पर साक्ष्य का प्रकाश।

21. अंत में मलखानसिंह बनाम एम. पी. राज्य 11 में तीन न्यायाधीश

इस न्यायालय की पीठ, जिसमें हममें से एक (बी. पी. सिंह, जे.) सदस्य थे, ने इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद इस प्रकार टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पीपी. 751-52, पैरा 7)

बी.

"7. यह कहना तुच्छ है कि मूल साक्ष्य न्यायालय में पहचान का प्रमाण है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा, कानून में स्थिति इस न्यायालय के कई फैसलों द्वारा अच्छी तरह से तय की गई है।अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रासंगिक हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, एक गवाह का मूल साक्ष्य न्यायालय में दिया गया बयान है।मुकदमे में पहली बार अभियुक्त व्यक्ति की मात्र पहचान का साक्ष्य अपनी प्रकृति से ही स्वाभाविक रूप से एक कमजोर चरित्र का है।इसलिए, पूर्व परीक्षण पहचान का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण करना और उसे मजबूत करना है।तदनुसार यह विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि आम तौर पर न्यायालय में गवाहों की शपथ की गवाही की पुष्टि की जाए जो कि पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में अभियुक्तों की पहचान के रूप में उनके लिए अजनबी हैं।हालांकि, विवेक का यह नियम अपवादों के अधीन है, जब, उदाहरण के लिए, न्यायालय किसी विशेष गवाह से प्रभावित होती है, जिसकी गवाही पर वह सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकती है, बिना इस तरह के या अन्य पुष्टि के।पहचान परेड जांच के चरण से संबंधित है, और दंड प्रक्रिया संहिता में कोई प्रावधान नहीं है जो जांच एजेंसी को आयोजित करने के लिए बाध्य करता है, या आरोपी को परीक्षण पहचान परेड का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है।वे ठोस साक्ष्य का गठन नहीं करते हैं और ये परेड अनिवार्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा नियंत्रित होते हैं।परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में विफलता न्यायालय में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी। इस तरह की पहचान के साथ जोड़ा जाने वाला वजन तथ्य न्यायालयों के लिए एक मामला होना चाहिए।उचित मामलों में यह पुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

(हमारे द्वारा प्रदान किया गया जोर)

11 (2003) 5 एससीसी 746 ए

एच.

1203

राजा बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

इस न्यायालय ने इस प्रकार पहचान के संबंध में साक्ष्य को विश्वसनीय पाया और अभियुक्त द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

17. दया सिंह बनाम हरियाणा राज्य **9** में यह घटना हुई थी

यह 09.04.1988 पर हुआ और आरोपी को 28.05.1988 पर गिरफ्तार किया गया और 02.06.1988 पर परीक्षण पहचान के लिए रखा गया।लेकिन आरोपी ने टी. आई. पी. में भाग लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद, घटना की तारीख से क्रमशः साढ़े सात साल और आठ साल के अंतराल के बाद मुकदमे में चश्मदीद गवाहों, पीडब्लू 37 और 38 की जांच की गई। घटना और न्यायालय में वास्तविक पहचान के बीच समय बीतने के संबंध में आधार को इस न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निपटाया गया थाः“11. इस स्तर पर हम सबसे पहले उन निर्णयों का उल्लेख करेंगे जिन पर निर्भरता रखी गई है।सोनी 4 के मामले में इस न्यायालय ने कहा कि पहचान परेड आयोजित करने में 42 दिनों की देरी से इसकी वास्तविकता पर संदेह पैदा होता है, इस तथ्य के अलावा कि यह मुश्किल है कि इतने लंबे समय के अंतराल के बाद गवाहों को अपीलार्थी के चेहरे के भाव याद होंगे।मामले में

बी.

सी.

डी.

मोहम्मद का।अब्दुल हफीज बनाम ए. पी. राज्य 12 न्यायालय, जबकि

डकैती के एक मामले से निपटने में कहा गया कि चूंकि कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी, इसलिए न्यायालय में चार महीने के अंतराल के बाद आरोपी की पहचान पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है।हरि नाथ 13 के मामले में न्यायालय ने कहा कि परीक्षण पहचान का साक्ष्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत स्वीकार्य है। लेकिन पहचान के निष्पक्ष परीक्षण के लिए उपयुक्त अन्य सुरक्षा उपायों के अलावा परीक्षण पहचान का मूल्य उस समय पर निर्भर करता है जब संदिग्ध व्यक्तियों को परीक्षण पहचान के लिए रखा जाता है।यदि अभियुक्त व्यक्तियों को परीक्षण पहचान के लिए प्रस्तुत करने में अस्पष्ट और अनुचित देरी होती है, तो देरी अपने आप में परीक्षण की विश्वसनीयता को कम करती है।न्यायालय ने आगे (पैरा 9)

प्रो.बोरचार्डःअभियुक्त की पहचान में त्रुटि के आधार पर निर्दोष को दोषी ठहराना।विद्वान लेखक ने कहा हैः

ई.

एफ.

“पीड़ित या प्रत्यक्षदर्शी का भावनात्मक संतुलन उसके असाधारण अनुभव से इतना विचलित हो जाता है कि उसकी धारणा की शक्तियाँ विकृत हो जाती हैं और उसकी पहचान अक्सर सबसे अधिक अविश्वसनीय होती है।पहचान में अन्य उद्देश्यों को दर्ज करें जो आवश्यक रूप से मूल रूप से अभियुक्त द्वारा व्यक्तिगत रूप से प्रेरित नहीं हैं -

जी.

12 (1983) 1 एससीसी 143 13 (1988) 1 एससीसी 14

एच.

किसी अपराध का बदला लेने की इच्छा, दोषी माने जाने वाले व्यक्ति से बदला लेने की इच्छा, बलि का बकरा खोजने की इच्छा, जानबूझकर या अनजाने में, किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले से की गई पहचान का समर्थन करने की इच्छा।इस प्रकार, अभियुक्तों के खिलाफ संदेह का समाधान किया जाता है।”

12. आकाशवाणी के पैरा **10** और **11** में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की हैः**(**एस**.** सी**.** सी पी**.21,** पैरा **19-21)**

बी.

“19. पहचान का साक्ष्य केवल न्यायालय में मौखिक गवाही की पुष्टि और मजबूती देता है जो केवल पहचान के रूप में प्राथमिक और ठोस सबूत है।एस. के. में। हसीब बनाम बिहार राज्य 6 इस न्यायालय ने कहाः(एस. सी. सी. पी. 777, पैरा 5)

सी.

‘... परीक्षण पहचान का उद्देश्य उस साक्ष्य का परीक्षण करना है, सुरक्षित नियम यह है कि न्यायालय में गवाह की उस अभियुक्त की पहचान के बारे में शपथ की गई गवाही, जो उसके लिए एक सामान्य नियम के रूप में, पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में पुष्टि की आवश्यकता होती है।’

डी.

20. रामेश्वर सिंह बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 14 में इस न्यायालय ने कहाः[एस. सी. सी पी.718, एस. सी. सी. (सी. आर. आई) पी.641, पैरा 6]

'... यह याद रखा जा सकता है कि एक गवाह का मूल साक्ष्य न्यायालय में उसका साक्ष्य है, लेकिन जब आरोपी व्यक्ति पहले से संबंधित गवाह के लिए ज्ञात नहीं है, तो गवाह द्वारा आरोपी की पहचान पूर्व की गिरफ्तारी के तुरंत बाद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जांच एजेंसी को यह आश्वासन देता है कि जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है, साथ ही गवाह द्वारा मुकदमे में न्यायालय में बाद में दिए जाने वाले साक्ष्य की पुष्टि प्रस्तुत करने के अलावा।'

ई.

एफ.

21. इसमें कोई संदेह नहीं है कि परीक्षण पहचान द्वारा पुष्टि की अनुपस्थिति किसी भी भौतिकता को नहीं मान सकती है यदि या तो गवाह आरोपी को पहले से जानता था या जहां गवाह के मन और स्मृति पर पहचान का स्थायी प्रभाव प्राप्त करने के कारण, अन्यथा, सामने लाए जाते हैं।यह भी सही कहा गया है किः'न्यायालयों को सैद्धांतिक संभावनाओं को बढ़ाते हुए कठिनाइयों को नहीं बढ़ाना चाहिए।यह उनका प्रांत है कि वे व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वास्तविक और भौतिक मामलों से निपटें और अत्यधिक सिद्धांत या वास्तव में जो वास्तव में महत्वहीन है उसे बड़ा करके आत्मसमर्पण न करें।' "

जी.

14 (1971) 2 एससीसी 715 ए

एच.

1205

राजा बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

13. इसलिए सवाल यह है कि क्या घायल चश्मदीद गवाह अभि. साक्षी 37 और अभि. साक्षी 38 का सबूत अपीलार्थी को उचित संदेह से परे अपराध से जोड़ने के लिए पर्याप्त है।इस उद्देश्य के लिए, यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि परीक्षण पहचान का उद्देश्य पूर्व पहचान के रूप में चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की पुष्टि करना है और गवाह का ठोस साक्ष्य न्यायालय में साक्ष्य है। यदि वह साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है तो परीक्षण पहचान द्वारा पुष्टि का अभाव किसी भी तरह से भौतिक नहीं होगा।इसके अलावा, जहां गवाहों के मन और स्मृति पर पहचान का स्थायी प्रभाव प्राप्त करने के कारणों को रिकॉर्ड पर लाया जाता है, वहां सैद्धांतिक संभावनाओं को बड़ा करने और निष्कर्ष पर पहुंचने का कोई फायदा नहीं है-आतंकवाद से प्रभावित वर्तमान सामाजिक वातावरण में क्या वास्तव में महत्वहीन है।ऐसे मामलों में, पहचान परेड का आयोजन न करना

अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं है।इस न्यायालय द्वारा महाराष्ट्र राज्य बनाम सुरेश 10 में पहचान परेड का उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार कहा गया है:(एस. सी. सी. पी. 478, पैरा 22)

बी.

सी.

डी.

“हम खुद को याद दिलाते हैं कि पहचान परेड मुख्य रूप से न्यायालय के लिए नहीं होती है।वे जांच के उद्देश्यों के लिए हैं।परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने का उद्देश्य दो गुना है।सबसे पहले गवाहों को खुद को संतुष्ट करने में सक्षम बनाना है कि जिस कैदी पर उन्हें संदेह है वह वास्तव में वही है जिसे उन्होंने अपराध करने के संबंध में देखा था।दूसरा जांच अधिकारियों को संतुष्ट करना है कि संदिग्ध वास्तविक व्यक्ति है जिसे गवाहों ने उक्त घटना के संबंध में देखा था।”

ई.

एफ.

(हमारे द्वारा दिया गया जोर) 18.इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि यदि अभिलेख पर सामग्री पर्याप्त रूप से इंगित करती है कि "गवाहों के मन और स्मृति पर पहचान का एक स्थायी प्रभाव प्राप्त करने" के कारण अभिलेख पर उपलब्ध हैं, तो मामला पूरी तरह से अलग परिप्रेक्ष्य में खड़ा है। इस न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में पहचान परेड का आयोजन न करना भी अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा।वर्तमान मामले में इस प्रकार निर्धारित परीक्षणों को लागू करते हुए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्येक चश्मदीद गवाह को लेन-देन में कई चोटें आई थीं, यह सुरक्षित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि उनमें से प्रत्येक को आरोपी की पहचान का स्थायी प्रभाव रखने के लिए पर्याप्त अवसर मिला था।

जी.

एच.

हमलावरों को।ऐसा नहीं है कि गवाहों ने हमलावरों को भीड़ में और कुछ दूरी से देखा था।चोटों को देखते हुए, आरोपी के साथ संपर्क बहुत दूर से हुआ होगा।

19. इसके अलावा, वर्तमान मामले में आरोपी संख्या 6 को छोड़कर सभी अभियुक्तों को 21.06.1999 पर गिरफ्तार किया गया था, जिन्होंने 22.06.1999 पर मजिस्ट्रेट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के बाद, आरोपी संख्या 6 की पुलिस हिरासत 01.07.1999 पर प्राप्त की गई और टी. आई. पी. 01.07.1999 पर ही आयोजित की गई।इस प्रकार, 01.07.1999 पर टी. आई. पी. प्राप्त करने में जांच तंत्र की ओर से कोई देरी नहीं हुई।

बी.

सी.

20. हालाँकि, जो आग्रह किया जाता है, वह यह है कि कम से कम तीन चश्मदीद गवाहों ने स्वीकार किया था कि अभियुक्तों को उन्हें दिखाया गया था जब अभियुक्त पुलिस हिरासत में थे। पीडब्लू 1,2 और 3 की प्रतिक्रियाएँ, जैसा कि यहाँ पहले उद्धृत किया गया है, इंगित करती हैं कि उन्होंने अभियुक्तों को हिरासत में रहते हुए देखा और उनकी पहचान की थी।हालाँकि, पी. डब्ल्यू. 1 ने इस सुझाव का खंडन किया कि गवाह केवल इसलिए अभियुक्तों की पहचान करने में सक्षम था क्योंकि उन्हें तब दिखाया गया था जब अभियुक्त पुलिस हिरासत में थे या उनकी तस्वीरें समाचार पत्र में दिखाई दी थीं।पीडब्लू4 की प्रतिक्रिया चार संप्रभु की सोने की चेन की पहचान के संबंध में थी और यही कारण है कि पहचान मोरप्पुर पुलिस स्टेशन में थी, जबकि पीडब्लू 1,2 और 3 की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि आरोपी सिंगरापेट्टई पुलिस स्टेशन में थे।पीडब्लू4 के जवाब से यह संकेत नहीं मिलता है कि गवाह ने आरोपी को तब देखा था जब वे हिरासत में थे।पीडब्लू5 ने इस सुझाव का पूरी तरह से खंडन किया कि वह केवल इसलिए पहचान कर सकता है क्योंकि अभियुक्तों को हिरासत में दिखाया गया था और क्योंकि अभियुक्तों की तस्वीरें गवाहों को दिखाई गई थीं।उन्होंने इस बात से भी इनकार किया कि अखबार "धीना थांथी", जिसने स्पष्ट रूप से अभियुक्तों की तस्वीरें प्रकाशित की थीं, उस समय उनके गाँव में उपलब्ध था।किसी भी समाचार पत्र में ऐसी तस्वीरों के प्रकाशन की तारीख और क्या समाचार पत्र "धीना थांथी" आम तौर पर संबंधित गाँव में उपलब्ध था, यह स्थापित करने के लिए कोई बचाव साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

21. इस प्रकार, लेन-देन में घायल हुए अभियोजन पक्ष के पांच गवाहों में से कम से कम दो, अर्थात् पीडब्लू 4 और 5 की गवाही एक अलग आधार पर है।पीडब्लू 1,2 और 3 के संबंध में भी, हालांकि यह कहने के लिए कुछ गुंजाइश है कि अभियुक्तों को गवाहों को दिखाया गया था जब वे हिरासत में थे, वह हिस्सा अपने आप में ए नहीं हो सकता है

एच.

1207

राजा बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

मनु शर्मा बनाम दिल्ली राज्य (एन. सी. टी.) 15 में चर्चा के आलोक में पर्याप्त होगा जो निम्नलिखित प्रभाव से थीः

“252. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क दिया जाता है कि चूंकि तस्वीरें गवाहों को दिखाई गई थीं, इसलिए यह परिस्थिति न्यायालय में पहचान के पूरे साक्ष्य को अस्वीकार्य बनाती है।इसके लिए, यह बताया गया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष फोटो पहचान या टी. आई. पी., सभी जांच में सहायक हैं और ठोस सबूत नहीं बनाते हैं।पर्याप्त साक्ष्य न्यायालय में शपथ पर गवाह का साक्ष्य है, जिसे इस आधार पर कभी भी अस्वीकार्य नहीं बनाया जा सकता है।यह आगे बताया गया है कि फोटो पहचान को धारा 162 सीआरपीसी द्वारा प्रभावित नहीं किया गया है जैसा कि बचाव पक्ष द्वारा विज्ञापित किया गया है क्योंकि तस्वीरों पर गवाहों द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं।

बी.

सी.

253. उनके तर्क के समर्थन में मनु शर्मा के वरिष्ठ वकील ने पी. 16 पर कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य एस. सी. सी. के फैसले पर भरोसा किया।711 जिसमें टाडा की धारा 22 पर विचार करते हुए न्यायालय ने कहा कि फोटो टिप कानून में खराब है।यह उल्लेख करना उपयोगी है कि उक्त निर्णय को अलग किया गया है।

डी.

उमर अब्दुल सकूर सोरठिया बनाम स्वापक नियंत्रण ब्यूरो 17,

जहाँ एक फोटो पहचान वैध मानी गई है।उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः(एस. सी. सी पी.143, पैरा 10-12)

ई.

“10. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उजागर की गई अगली परिस्थिति यह है कि अपीलार्थी की एक तस्वीर बाद में श्री अल्बर्ट मखत्शवा को दिखाई गई और उन्होंने तस्वीर में उस आकृति की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जिसे उन्होंने ट्रक के अवरोधन के समय कार चलाते हुए देखा था।

एफ.

11. यह तर्क दिया गया था कि फोटो द्वारा पहचान साक्ष्य में अस्वीकार्य है और इसलिए, इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है।हमारे संज्ञान में ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं लाया गया है जो इस तरह के साक्ष्य की स्वीकार्यता को बाधित करता हो।हालाँकि, विद्वान अधिवक्ता ने हमारा ध्यान कर्तार सिंह बनाम पंजाब राज्य 16 में संविधान पीठ की टिप्पणियों की ओर आकर्षित किया, जिसने आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम की धारा 22 को निरस्त कर दिया।

जी.

15 (2010) 6 एससीसी 1 16 (1994) 3 एससीसी 569 17 (2000) 1 एससीसी 138

एच.

1987. उस प्रावधान द्वारा तस्वीर के आधार पर एक आतंकवादी मामले में एक घोषित अपराधी की पहचान के संबंध में एक गवाह के साक्ष्य को एक परीक्षण पहचान परेड के साक्ष्य के समान मूल्य दिया गया था।इस न्यायालय ने इस संदर्भ में टिप्पणी की:(एस. सी. सी. पी. 711, पैरा 361)

‘361. यदि एक तस्वीर के आधार पर पहचान के संबंध में साक्ष्य का मूल्य परीक्षण पहचान परेड के साक्ष्य के समान होना है, तो हम महसूस करते हैं कि संदिग्ध व्यक्तियों के नुकसान के लिए घोर अन्याय हो सकता है।इसलिए, हम इस प्रावधान को समाप्त करने के लिए इच्छुक हैं और तदनुसार हम अधिनियम की धारा 22 को समाप्त करते हैं।

बी.

सी.

12. वर्तमान मामले में अभियोजन पक्ष यह नहीं कहता है कि वे श्री मखत्शवा द्वारा की गई पहचान के साथ आराम करेंगे जब उन्हें तस्वीर दिखाई गई थी।अभियोजन पक्ष को न्यायालय में गवाह के रूप में उससे पूछताछ करनी होती है और उसे न्यायालय में आरोपी की पहचान करनी होती है।तभी यह ठोस सबूत बन जाएगा।लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस स्तर पर न्यायालय मुकदमे के दौरान अपीलार्थी की सही पहचान करने वाले ऐसे गवाह की संभावना पर विचार करने से अक्षम है।इस पर विचार करते हुए न्यायालय इस तथ्य को ध्यान में रख सकती है कि जांच के दौरान अपीलार्थी की तस्वीर गवाह को दिखाई गई थी और उसने उस व्यक्ति की पहचान उसी के रूप में की थी जिसे उसने प्रासंगिक समय पर देखा था।यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि अपीलार्थी घोषित अपराधी नहीं है और हम उस संभावना पर विचार नहीं कर रहे हैं

जिसमें उसे घोषित किया जाएगा।अतः एक अलग संदर्भ में कर्तार सिंह 16 में की गई टिप्पणियों का अपीलार्थी के लिए कोई लाभ नहीं है।"

डी.

ई.

254. यहां तक कि मजिस्ट्रेट के समक्ष एक टी. आई. पी. भी अन्यथा संहिता की धारा 162 द्वारा प्रभावित होती है।इसलिए, यह कहना कि एक फोटो पहचान धारा 162 द्वारा प्रभावित है, गलत है।यह सबूत का एक ठोस टुकड़ा नहीं है।यह केवल साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के आधार पर है कि वही यानी पहचान का कार्य न्यायालय में स्वीकार्य हो जाता है।टी. आई. पी. के पीछे का तर्क, जिसमें फोटो पहचान शामिल होगी, इस तथ्य में निहित है कि यह केवल जांच के लिए एक सहायता है, जहां एक आरोपी गवाहों को ज्ञात नहीं है, आई. ओ. यह सुनिश्चित करने के लिए एक टी. आई. पी. आयोजित करता है कि उसे एक आरोपी के रूप में सही व्यक्ति मिल गया है।अभ्यास प्रक्रिया से नहीं, बल्कि विवेक से होता है।अधिक से अधिक इसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 के तहत लाया जा सकता है, फोटो में गवाह के आचरण के साक्ष्य के रूप में आरोपी ए की पहचान की जा सकती है।

एफ.

जी.

एच.

255. श्री जेठमलानी ने इस प्रस्ताव पर आगे तर्क दिया है कि केवल गोदी की पहचान कानून की नजर में कोई पहचान नहीं है जब तक कि मजिस्ट्रेट के समक्ष पिछले टी. आई. पी. द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है।यह आगे तर्क दिया गया है कि किसी भी मामले में, न्यायालय में पहचान भी पर्याप्त नहीं है और आरोपी को उत्तरदायी ठहराने के लिए कुछ और होना चाहिए।अपनी दलीलों के समर्थन में, उन्होंने हरि नाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 13 और बुधसेन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 18 के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा रखा। इन फैसलों की बारीकी से जांच से पता चलेगा कि वे वास्तव में अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं। इन निर्णयों से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है कि जहां कोई पिछला टी. आई. पी. नहीं है, वहां भी न्यायालय डॉक की पहचान को बोर्ड से ऊपर और निर्णायक से अधिक होने के रूप में मान सकती है।

बी.

सी.

256. आज जो कानून है**,** वह इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों में निर्धारित किया गया है**,** जिन्हें नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

डी.

मुंशी सिंह गौतम बनाम एम. पी. राज्य 19:(एस. सी. सी. पीपी. 642-45,

पैरा 16-17 &19) “16. जैसा कि इस न्यायालय ने मातृ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में कहा था कि 20 पहचान परीक्षण ठोस साक्ष्य का गठन नहीं करते हैं।वे मुख्य रूप से जांच एजेंसी को इस आश्वासन के साथ मदद करने के उद्देश्य से हैं कि अपराध की जांच के साथ उनकी प्रगति सही दिशा में आगे बढ़ रही है।पहचान का उपयोग केवल न्यायालय में बयान की पुष्टि के रूप में किया जा सकता है।(संतोख सिंह बनाम इजहार हुसैन 21 देखें।)पहचान परेड आयोजित करने की आवश्यकता तभी उत्पन्न हो सकती है जब अभियुक्त पहले गवाहों को नहीं जानते हों।परीक्षण पहचान परेड का पूरा विचार यह है कि जो गवाह घटना के समय दोषियों को देखने का दावा करते हैं, उन्हें बिना किसी सहायता या किसी अन्य स्रोत के अन्य व्यक्तियों के बीच से उनकी पहचान करनी होती है।परीक्षण उनकी सत्यता की जांच करने के लिए किया जाता है।दूसरे शब्दों में, पहचान परेड आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य, के दौरान

ई.

एफ.

जी.

18 (1970) 2 एस. सी. सी. 128 19 (2005) 9 एस. सी. सी. 631 20 (1971) 2 एस. सी. सी. 75 21 (1973) 2 एस. सी. सी. 406

एच.

जाँच चरण, पहली छाप के आधार पर गवाहों की स्मृति का परीक्षण करना है और अभियोजन पक्ष को यह तय करने में सक्षम बनाना है कि क्या उन सभी या किसी को अपराध के चश्मदीद गवाह के रूप में उद्धृत किया जा सकता है।पहचान की कार्यवाही परीक्षण की प्रकृति में होती है और महत्वपूर्ण रूप से, इसलिए संहिता और साक्ष्य अधिनियम में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं

है। यह वांछनीय है कि अभियुक्त की गिरफ्तारी के तुरंत बाद एक परीक्षण पहचान परेड आयोजित की जानी चाहिए।परीक्षण पहचान परेड से पहले अभियुक्त को गवाहों को दिखाए जाने की संभावना को समाप्त करने के लिए यह आवश्यक हो जाता है।यह अभियुक्त की एक बहुत ही सामान्य याचिका है और इसलिए, अभियोजन पक्ष को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क रहना होगा कि इस तरह के आरोप लगाने की कोई गुंजाइश न हो।हालाँकि, यदि परिस्थितियाँ नियंत्रण से बाहर हैं और कुछ देरी होती है, तो इसे अभियोजन पक्ष के लिए घातक नहीं कहा जा सकता है।

बी.

सी.

17. यह कहना तुच्छ है कि मूल साक्ष्य न्यायालय में पहचान का प्रमाण है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा, कानून में स्थिति इस न्यायालय के कई फैसलों द्वारा अच्छी तरह से तय की गई है।अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रासंगिक हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, एक गवाह का मूल साक्ष्य न्यायालय में दिया गया बयान है।मुकदमे में पहली बार अभियुक्त व्यक्ति की मात्र पहचान का साक्ष्य अपनी प्रकृति से ही स्वाभाविक रूप से एक कमजोर चरित्र का है।इसलिए, पूर्व परीक्षण पहचान का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण करना और उसे मजबूत करना है।तदनुसार, यह विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि आम तौर पर न्यायालय में गवाहों की शपथ की गवाही की पुष्टि की जाए कि आरोपी की पहचान, जो उनके लिए अजनबी हैं, पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में।हालांकि, विवेक का यह नियम अपवादों के अधीन है, जब, उदाहरण के लिए, न्यायालय किसी विशेष गवाह से प्रभावित होती है, जिसकी गवाही पर वह सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकती है, बिना इस तरह के या अन्य पुष्टि के।पहचान परेड जांच के चरण से संबंधित है, और संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो जांच एजेंसी को परीक्षण पहचान परेड का दावा करने के लिए आरोपी को अधिकार देने के लिए बाध्य करता है।वे ठोस साक्ष्य नहीं बनाते हैं और ये परेड अनिवार्य रूप से ए द्वारा नियंत्रित होते हैं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

1211

राजा बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

संहिता की धारा 162।परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में विफलता न्यायालय में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी।इस तरह की पहचान के साथ जोड़ा जाने वाला वजन तथ्य न्यायालयों के लिए एक मामला होना चाहिए।उचित मामलों में यह पुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है।(कान्ता प्रसाद को देखें

बी.

v. दिल्ली प्रशासन 22, वैकुंठम चंद्रप्पा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 23, बुधसेन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 18 और रामेश्वर सिंह बनाम जम्मू-कश्मीर राज्य 14)

* * *

सी.

19. हरबजन सिंह बनाम जम्मू**-**कश्मीर राज्य **24** में**,** हालांकि एक परीक्षण

पहचान परेड आयोजित नहीं की गई थी, इस न्यायालय ने न्यायालय में अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्य द्वारा पुष्टि की गई पहचान के आधार पर दोषसिद्धि को बरकरार रखा।उस मामले में यह पाया गया कि अपीलकर्ता और एक गुरमुख सिंह रोल कॉल के समय अनुपस्थित थे और जब उन्हें आईडी1 की रात को गिरफ्तार किया गया तो उनकी राइफलों से ताजा बारूद की बदबू आ रही थी और अपराध स्थल पर मिले खाली कार्ट्रिज केस पर विशिष्ट निशान थे जिससे पता चलता है कि जिस गोली से मृतक की मौत हुई थी, वह अपीलार्थी की राइफल से चलाई गई थी।इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने कहाः(एस. सी. सी. पी. 481, पैरा 4)

डी.

ई.

‘4. इस पुष्टिकारक साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए हम अपीलार्थी की ओर से आग्रह किए गए तर्क में कोई सार नहीं पाते हैं कि जांच अधिकारी को एक पहचान परेड आयोजित करनी चाहिए थी और मुंशी राम द्वारा घटना के तुरंत बाद घटनास्थल पर आए पड़ोसियों से दो अभियुक्तों के नामों का उल्लेख करने में विफलता से पता चलता है कि उसकी कहानी सच नहीं हो सकती है। जैसा कि इस न्यायालय ने जदुनाथ सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में कहा है कि परीक्षण पहचान की अनुपस्थिति आवश्यक रूप से घातक नहीं है।यह तथ्य कि मुंशी राम ने ग्रामीणों को दोनों अभियुक्तों के नामों का खुलासा नहीं किया, केवल यह दर्शाता है कि अभियुक्तों को वह पहले से नहीं जानता था और यह कहानी कि अभियुक्तों ने प्रत्येक का उल्लेख किया था।

एफ.

जी.

22 आकाशवाणी (1958) एससी 350 23 एआईआर (1960) एससी 1340 24 (1975) 4 एससीसी 480 25 (1970) 3 एससीसी 518

एच.

1212

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 17 एस सी आर।

घटना के दौरान उनके संबंधित नामों से अन्य में अतिशयोक्ति का एक तत्व होता है।मामला केवल मुंशी राम के साक्ष्य पर आधारित नहीं है और जिन पुष्टि करने वाली परिस्थितियों का हमने ऊपर उल्लेख किया है, वे अपीलार्थी के निहितार्थ को पर्याप्त आश्वासन देते हैं।' "

बी.

मलखानसिंह बनाम एम. पी. राज्य 11:(एस. सी. सी. पीपी. 751-52, पैरा 7) "7. यह कहना तुच्छ है कि मूल साक्ष्य न्यायालय में पहचान का प्रमाण है।साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा, कानून में स्थिति इस न्यायालय के कई फैसलों द्वारा अच्छी तरह से तय की गई है।अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान स्थापित करने वाले तथ्य साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के तहत प्रासंगिक हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, एक गवाह का मूल साक्ष्य न्यायालय में दिया गया बयान है।मुकदमे में पहली बार अभियुक्त व्यक्ति की मात्र पहचान का साक्ष्य अपनी प्रकृति से ही स्वाभाविक रूप से एक कमजोर चरित्र का है।इसलिए, पूर्व परीक्षण पहचान का उद्देश्य उस साक्ष्य की विश्वसनीयता का परीक्षण और उसे मजबूत करना है।तदनुसार यह विवेक का एक सुरक्षित नियम माना जाता है कि आम तौर पर न्यायालय में गवाहों की शपथ की गवाही की पुष्टि की जाए जो कि पहले की पहचान कार्यवाही के रूप में अभियुक्तों की पहचान के रूप में उनके लिए अजनबी हैं।हालांकि, विवेक का यह नियम अपवादों के अधीन है, जब, उदाहरण के लिए, न्यायालय किसी विशेष गवाह से प्रभावित होती है, जिसकी गवाही पर वह बिना किसी ऐसी या अन्य पुष्टि के सुरक्षित रूप से भरोसा कर सकती है।पहचान परेड जांच के चरण से संबंधित है, और दंड प्रक्रिया संहिता में कोई प्रावधान नहीं है जो जांच एजेंसी को आयोजित करने के लिए बाध्य करता है, या आरोपी को परीक्षण पहचान परेड का दावा करने का अधिकार प्रदान करता है।वे ठोस साक्ष्य का गठन नहीं करते हैं और ये परेड अनिवार्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 द्वारा नियंत्रित होते हैं।परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में विफलता न्यायालय में पहचान के साक्ष्य को अस्वीकार्य नहीं बनाएगी।इस तरह की पहचान के साथ जोड़ा जाने वाला वजन तथ्य न्यायालयों के लिए एक मामला होना चाहिए।उचित मामलों में यह पुष्टि पर जोर दिए बिना भी पहचान के साक्ष्य को स्वीकार कर सकता है।"

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

... ... ए.

एच.

1213

राजा बनाम पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य [उदय उमेश ललित, जे।] ए.

259. मुल्लागिरी वज्रम बनाम ए. पी. राज्य 26 में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

यद्यपि अभियुक्त को गवाह द्वारा हिरासत में देखा गया था, टी. आई. पी. में कोई भी कमजोरी मामले के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि न्यायालय में गवाहों के बयान विश्वसनीय थे और दोषसिद्धि को बनाए रख सकते थे।फोटो पहचान और टी. आई. पी. केवल जांच में सहायक हैं और ठोस सबूत नहीं बनाते हैं।मूल साक्ष्य शपथ पर न्यायालय में साक्ष्य है।"22. अभिलेख पर तथ्य इस प्रकार स्पष्टता के साथ इंगित करते हैं किः

बी.

(क) परीक्षण पहचान परेड आयोजित करने में कोई देरी नहीं हुई और देरी, यदि कोई हो, इस तथ्य के कारण थी कि अभियुक्तों में से एक न्यायिक हिरासत में था जिसकी उपस्थिति अदालत से उचित अनुमति के बाद ही सुनिश्चित की जानी थी;

सी.

(ख) यह अभियुक्त का मामला नहीं है कि अभियुक्त संख्या 6 को कभी भी किसी भी गवाह को दिखाया गया था।अभियुक्त सं. 6 की परीक्षण पहचान परेड में किसी भी मामले में कोई कमजोरी नहीं है और सभी गवाहों की लगातार पहचान की गई है, अभियुक्त सं. 6 ने कहा;

डी.

(ग) पाँच घायल गवाहों में से दो ने पूरी तरह से इनकार किया था कि या तो आरोपी या उनकी तस्वीरें गवाहों को दिखाई गई थीं, जबकि अन्य तीन ने उस ओर से सुझाव को स्वीकार कर लिया था; और

ई.

(घ) लेन-देन में सभी गवाह घायल हो गए थे।इसलिए, यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि उनमें से प्रत्येक को प्रत्येक अभियुक्त की विशेषताओं का निरीक्षण करने का पर्याप्त और उचित अवसर मिला था।

एफ.

23. जैसा कि इस न्यायालय द्वारा बार-बार निर्धारित किया गया है, जो महत्वपूर्ण है वह है न्यायालय में पहचान और यदि ऐसी पहचान अन्यथा न्यायालय द्वारा सत्य और विश्वसनीय पाई जाती है, तो ऐसे ठोस साक्ष्य पर न्यायालय द्वारा भरोसा किया जा सकता है।अभिलेख पर परिस्थितियों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, अभियुक्त की उपस्थिति और भागीदारी, हमारे विचार में, प्रत्यक्षदर्शी खाते के माध्यम से साबित हुई।हम पीडब्लू 1 से 5 द्वारा पहचान के साक्ष्य में कोई कमजोरी नहीं पाते हैं।

जी.

26 1993 सप.(2) एससीसी 198

एच.

1214

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 17 एस सी आर।

24. चूँकि हमने चश्मदीद गवाह के खाते को स्वीकार किया है और उस पर भरोसा किया है, इसलिए सहायक मुद्दे जैसे कि वसूली और क्या वे कानून द्वारा ज्ञात तरीके से साबित किए गए थे, आगे विस्तार की आवश्यकता नहीं है।

25. नतीजतन, हम पाते हैं कि अपीलार्थियोंओं को उन अपराधों के लिए सही पाया गया था जिनके लिए उन पर आरोप लगाया गया था।उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि करते हुए, हम इन अपीलों को खारिज करते हैं।

बी.

कल्पना के. त्रिपाठी

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.